उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

संख्या-2/2015/वे0आ0-1-435/दस-15-28(एम)/2007

लखनऊः दिनांकः 03 जून, 2015

इस अनुभाग के पत्र संख्या-वे0आ0-1-1010/दस-1-28(एम)/2007 दिनांक 22 सितम्बर, 2014 के क्रम में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-फा0सं0-1/2/2015-ई-II(बी) दिनांक 10 अप्रैल, 2015 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(3)/2008-E.II(B) दिनांक 24 अप्रैल, 2015 की (हिन्दी/अग्रेजी) प्रतियॉ निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञापों की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2015 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करे:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-2/2015/1-435(1)/दस-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
3- प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

आज्ञा से,

अजय अग्रवाल
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फा. सं. 1/2/2015-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
/० अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान - 01.01.2015 से लागू संशोधित दरें।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 18 सितम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/2/2014-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की मौजूदा 107 प्रतिशत की दर को 01 जनवरी, 2015 से बढ़ाकर 113 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2. इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनिबन्धन करते समय, इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(3)/2008-ई.II(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध लागू रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।

4. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं।

(ए. भट्टाचार्य)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि, मानक वितरण सूची के अनुसार (सम्बन्ध संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

No. 1/2/2015-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

North Block, New Delhi
Dated: 10th April, 2015.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2015.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1/2/2014-E-II (B) dated 18th September, 2014 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 107% to 113% with effect from 1st January, 2015.

2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1(3)/2008-E-II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

5. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

(A. Bhattacharya)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc., as per standard list, (with usual number of spare copies).

सं.1(3)/2008-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

24 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः-**पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 01.01.2015 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।**

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 25 सितम्बर, 2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का अवलोकन करने का निदेश हुआ है जो केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों जिन्होंने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार **पूर्व-संशोधित वेतनमानों** में अपना वेतन आहरित करना जारी रखा है, के संबंध में महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन के बारे में है।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दरें दिनांक 01.01.2015 से मौजूदा 212 प्रतिशत से बढ़कर 223 प्रतिशत हो जाएंगी। 03 अक्तूबर, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में दी गई अन्य सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है

(ए. भट्टाचार्य)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि अग्रेषितः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।

No. 1(3)/2008-E.II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated: 24th April, 2015.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Rates of Dearness Allowance applicable w.e.f. 1.1.2015 to employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised scale as per 5th Central Pay Commission.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even No. dated 29th September, 2014 revising the rates of Dearness Allowance in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies who continue to draw their pay and allowances in the pre-revised scales of pay as per 5th Central Pay Commission.

2. The rates of Dearness Allowance admissible to the above categories of employees of Central Government and Central Autonomous bodies shall be enhanced from the existing rate of 212% to 223% w.e.f. 1.1.2015. All other conditions as laid down in the O.M. of even number dated 3rd October, 2008 will continue to apply.

3. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of the organizations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

(A. Bhattacharya)
Under Secretary to the Government of India

To,

All Ministries/Departments of the Government of India etc. (as per standard distribution list).

Copy forwarded to: C&AG, UPSC, etc., (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.